**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

**सुरक्षित: 31 अक्टूबर, 2013**
**निर्णय: 30 जनवरी, 2014**

**आप.अ. 99/2000**

लियाकत अली ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री जयंत के. सूद तथा श्री उजास कुमार, अपीलार्थी के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन. दुदेजा, अति.लो.अभि.।

**कोरमः**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग**

**<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग</u>**

1. लियाकत अली (अपीलार्थी) ने पुलिस स्टेशन सीमा पुरी में दर्ज प्राथमिकी सं. 248/1996 से उद्भूत सत्र मामला सं. 25/1999 में दिनांक 29.01.1999 के निर्णय की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया है, जिसके द्वारा उसे भा.दं.सं. की धारा 307/34 और आयुध अधनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया गया था। दिनांक 31.01.1999 के आदेश द्वारा,

उसे भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000/- रुपये के जुर्माने और आयुध अधनियम की धारा 27 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने का दंडादेश दिया गया था। दोनों दंडादेश एक साथ चलने थे। आरोप-पत्र में प्रस्तुत तथ्य निम्नानुसार हैं:-

2. लियाकत अली, अकील अहमद और गौज मोहम्मद उर्फ़ ताज मोहम्मद को गिरफ्तार कर विचारण हेतु भेज दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 12.05.1996 को लगभग 11.30 बजे रात को पुल के नीचे रेलवे क्रॉसिंग, जीटी. रोड, शाहदरा के पास उन्होंने सामान्य आशय से लियाकत अली को जारी की गई तामील रिवॉल्वर से संजय कुमार पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। गोलीबारी की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तंत्र तब हरकत में आया जब रात 11.50 बजे डीडी नं. 39क (प्रद.अभि.सा.-12/ख) पुलिस स्टेशन सीमा पुरी में दर्ज की गई। अन्वेषण सहायक उप-निरीक्षक नरपत सिंह को सौंपा गया जो कांस्टेबल प्रदीप के साथ घटनास्थल पर गया और पता चला कि घायल को पहले ही गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया जा चुका है। उसने घायल संजय कुमार की एमएलसी(मेडिको लीगल केस) एकत्रित की और उसका बयान दर्ज करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की (प्रद.अभि.सा.-11/क)। इस बीच, लियाकत अली और गौज मोहम्मद को कांस्टेबल सतेंदर कुमार द्वारा पुलिस स्टेशन सीमा पुरी

लाया गया और उन्हें चिकित्सीय परीक्षा के लिए भेजा गया। गौज मोहम्मद उर्फ़ ताज मोहम्मद का बयान दर्ज करने के बाद भा.दं.सं. की धारा 307/365/341/34 के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 249/1996 के अंतर्गत क्रॉस-केस दर्ज किया गया। तथ्यों से परिचित साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, उन सभी के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया; उन पर सम्यक् रूप से आरोप लगाए गए और विचारण किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपना अपराध साबित करने के लिए 12 साक्षियों की परीक्षा की। 313 बयानों में, उन्होंने अपराध में अपनी सह-अपराधिता से इनकार किया और झूठे आरोप लगाने का दावा किया। पक्षकारगण के परस्पर विरोधी प्रतिविरोधों पर विचार करने और पूरे साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा लियाकत अली को पहले उल्लिखित अपराधों के लिए अपराध का अपराधी अभिनिर्धारित किया। यह ध्यान देने योग्य है कि अकील अहमद और गौज मोहम्मद उर्फ़ ताज मोहम्मद को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था और राज्य ने उनके दोषमुक्त होने को चुनौती नहीं दी थी।

3. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का परीक्षण किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को उसके सही और उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा और परिवादी संजय के भ्रष्ट परिसाक्ष्य पर निर्भरता व्यक्त करके गंभीर गलती की,

जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और वह एक हत्या के मामले में शामिल था। अपीलार्थी को स्थानीय पुलिस के इशारे पर झूठा फंसाया गया, जिसने पूरे मामले में जानबूझकर हेरफेर किया। विचारण न्यायालय ने भौतिक अनियमितताओं की अनवेक्षा करके बहुत बड़ी गलती की। अन्वेषक अधिकारी ने प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि लियाकत अली (अपीलार्थी) और गौज मोहम्मद उर्फ़ ताज मोहम्मद को चिकित्सीय परीक्षा के लिए भेजा गया था और एक क्रॉस-केस दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह नहीं बताया कि कैसे और किस प्रकार से गौज मोहम्मद उर्फ़ ताज मोहम्मद को अपराध स्थल पर गंभीर चोटें आईं। अन्वेषक अधिकारी को अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि झगड़ा जी.टी. रोड के फ्लाईओवर के नीचे एक तरफ गौज मोहम्मद उर्फ़ ताज मोहम्मद और अकील अहमद और दूसरी तरफ संजय, नंद किशोर उर्फ़ नंदू और राकेश के बीच हुआ था और गौज मोहम्मद उर्फ़ ताज मोहम्मद को गंभीर चोटें आई थीं। उसने आगे स्वीकार किया कि झगड़े के बाद लियाकत अली घटनास्थल पर पहुंचा और अपनी तामील रिवॉल्वर से संजय पर गोली चला दी। जाहिर है, अपीलार्थी का संजय को खत्म करने का कोई मकसद या आशय नहीं था। उसने आगे प्रतिवाद किया कि साक्ष्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि लियाकत अली गौज मोहम्मद उर्फ़ ताज मोहम्मद को बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा था, जिस पर अभि.सा.-11 (संजय) और उसके साथियों ने हमला किया था। लियाकत अली ने केवल आत्मरक्षा में

गोली चलाई क्योंकि उसकी जान को खतरा था अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि घटना में 4,850 रुपये छीने गए थे या नहीं। अधिवक्ता ने अपीलार्थी को परिवीक्षा पर रिहा करने के लिए वैकल्पिक तर्क अपनाया क्योंकि उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वह अपने करियर के अंतिम चरण में था। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि पर निष्कर्षों का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि घायल संजय के परिसाक्ष्य को खारिज करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं हैं। अपीलार्थी आत्मरक्षा का अभिवाक् साबित नहीं कर सका।

4. स्वीकृत स्थिति यह है कि लियाकत अली दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल था और सुरक्षा के लिए उसे दिनांक 22.11.1995 के एक आदेश द्वारा जिंदा कारतूसों के साथ 9 एमएम की पिस्तौल जारी की गई थी। यह विवादित नहीं है कि दिनांक 12.05.1996 को हुई घटना में, अभि.सा.-11 (संजय) को उक्त तामील रिवॉल्वर (प्रद.सा. 4) से उसके शरीर पर लगभग 11.30 बजे रात को जी.टी. रोड, शाहदरा पुल के नीचे रेलवे क्रॉसिंग के पास गोली लगी थी। गोलीबारी की घटना के संबंध में डीडी सं. 39क (प्रद.अभि.सा.-12/ख) रात 11.50 बजे पुलिस स्टेशन सीमा पुरी में दर्ज की गई थी। घायल संजय कुमार को घटना के तुरंत बाद दीपक नामक व्यक्ति द्वारा जीटीबी अस्पताल ले जाया गया था। एमएलसी (प्रद.अभि.सा.7/क) परिवादी संजय कुमार, जिसे बयान के लिए फिट घोषित किया गया था, ने अपने बयान

(प्रद.अभि.सा.-11/क) में अन्वेषक अधिकारी को बताया कि रात करीब 11.30 बजे जब वह शाहदरा रेलवे फाटक के पास अपने दोस्त अरविंद के घर जाने के लिए मौजूद था, तभी अकील, ताज मोहम्मद और लियाकत स्कूटर नंबर डीएल-5एसजी2848 पर आए और उसे पकड़ लिया। लियाकत अली ने उस पर गोली चलाई और वे सभी मौके से फरार हो गए। उसने आगे बताया कि कुछ पैसों का विवाद था। न्यायालय के बयान में अभि.सा.-11 के रूप में पेश होते हुए संजय ने पुलिस को दिए गए विवरण को प्रमाणित किया और लियाकत और अन्य पर उसे चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उससे ₹4850/- छीन लिए गए थे। उसने लियाकत अली को एक निश्चित और विशिष्ट भूमिका सौंपी क्योंकि उसने एक पिस्तौल निकाली और उसके पेट पर गोली चला दी। अभि.सा.-7 (डॉ. अजय कुमार शर्मा), जिसने दिनांक 13.05.1995 को पीड़ित की परीक्षा की, ने एमएलसी (प्रद.अभि.सा.-7/क) के माध्यम से अग्न्यायुध के कारण चोटों की प्रकृति को 'गंभीर' बताया। अभि.सा.-2 (डॉ. एस.सी. भल्ला) जिसने एक्स-रे प्लेट का परीक्षण किया, ने अपनी रिपोर्ट (प्रद.अभि.सा.-2/को) को प्रमाणित किया। निस्संदेह, संजय कुमार को रिवॉल्वर से गोली चलाने से पेट पर गंभीर चोटें आई थीं अपीलार्थी के लिए यह स्पष्ट करना अनिवार्य था कि कैसे और किन परिस्थितियों में वह अपने घर से दूर अजीब समय पर अपनी तामील रिवॉल्वर लेकर मौके पर गया और कैसे उसे पीड़ित पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया गया। ये

तथ्य अपीलार्थी के विशेष ज्ञान में थे और साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उसे स्पष्टीकरण देना ज़रूरी था। साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि परिवादी संजय और उसके साथी नंद कुमार और राकेश हिस्ट्रीशीटर(एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति) और बुरे चरित्र वाले अपराधी हैं। अन्वेषक अधिकारी अभि.सा.-12 (सहायक उप-निरीक्षक नरपत सिंह) ने माना कि ताज मोहम्मद उर्फ़ गौज मोहम्मद, अकील, संजय, नंद किशोर उर्फ़ नंदू और राकेश के बीच प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जैसे स्मैक, चरस आदि बेचकर कमाए गए पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। मौके पर उनके बीच झगड़ा हुआ और ताज मोहम्मद को बुरी तरह पीटा गया। अपीलार्थी ने इस बात का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध क्यों थे और किस बात ने उसे स्वयं ही घटनास्थल पर जाकर एक समूह की सहायता करने या उसे बचाने तथा अपनी तामील रिवॉल्वर का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल होने के नाते तथा अपनी तथा परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए पिस्तौल दिए जाने के बाद, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर इसका प्रयोग करेगा, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि उसे ज्ञात थी। अपीलार्थी ने अपने आदेश पर आधिकारिक हथियार के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए असंगत तथा विरोधाभासी प्रतिवाद किया। उसने आरोप लगाया कि वह गौज मोहम्मद उर्फ़ ताज मोहम्मद का पड़ोसी

होने के नाते झगड़े की सूचना मिलने के बाद अपनी दोस्ती के कारण घटनास्थल पर गया था, तथा जब अभि.सा.-11 संजय तथा उसके साथियों ने उस पर हमला किया, तो उसे अपनी रक्षा के लिए आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। यद्यपि, अपीलार्थी इसे सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा। उसने किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उस पर हमला करने तथा उसे घायल करने के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। गौज मोहम्मद उर्फ़ ताज मोहम्मद की शिकायत पर दर्ज क्रॉस-केस का परिणाम अस्पष्ट है। लियाकत अली (अपीलार्थी) को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी और प्रतिपरीक्षा में अन्वेषक अधिकारी ने बताया कि उसने शरीर पर कोई स्पष्ट चोट नहीं देखी और उसके अनुरोध पर उसे चिकित्सीय परीक्षा के लिए ले जाया गया था। एमएलसी (प्रद.अभि.सा.12/घब) में डॉक्टर ने हाथ और अग्रबाहु पर खरोंच के अलावा कोई बड़ी चोट नहीं देखी। चूंकि कथित चोटें मामूली या सतही थीं, इसलिए इनका स्पष्टीकरण न देने से अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परिवादी की प्रतिपरीक्षा में, सुझाव दिया गया कि उसने अपीलार्थी पर 'कट्टा' से गोली चलाई थी। फिर एक अलग सुझाव दिया गया कि जब परिवादी और उसके साथी गौज मोहम्मद को पीट रहे थे, लियाकत अली उसे बचाने आया था। 313 बयान में लियाकत अली ने आरोप लगाया कि दिनांक 12.05.1996 को अकील और दीपक उसके घर के पास मिले और बताया कि ताज मोहम्मद पुलिस स्टेशन सीमा पुरी में निरुद्ध है और उसके बारे में

पूछताछ के लिए थाना अधिकारी ने उसे बुलाया है। वह दीपक के साथ दोपहिया वाहन पर सीमा पुरी की ओर गया और जब वे रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे, तो उसे नंदू, राकेश और संजय सहित 8/10 लड़कों ने घेर लिया। नंदू ने उस पर देसी पिस्तौल से गोली चलाई परंतु वह उसे नहीं लगी। राकेश ने उसे चाकू से मारा और उसके 'बनियान' पर कट के निशान हो गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी तामील रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया। उसे नहीं पता कि सर्विस रिवॉल्वर से गोली कैसे चली। वह मौके से भागने लगा और उसने देखा कि गौज मोहम्मद पास में घायल हालत में पड़ा है; उसे मुख्य सड़क पर लाया; कांस्टेबल सतेंद्र से पुलिस वाहन में लिफ्ट ली और पुलिस स्टेशन सीमा पुरी चला गया। अकील जो कथित तौर पर लियाकत अली को लाने गया था, ने अपने 313 के बयान में विरोधाभासी बयान दिया। उसने दावा किया कि रेलवे फाटक (क्रॉसिंग) पर गौज मोहम्मद को संजय, नंदू, राकेश और उनके साथियों ने मारपीट कर उठा लिया। उसे और दीपक को लियाकत अली को बुलाने के लिए भेजा गया, यह कहकर कि उसे थाना अधिकारी सीमा पुरी ने बुलाया है। उसने लियाकत अली को सूचित किया, जो अपने घर के बाहर खड़ा था। दीपक उसे घटनास्थल पर ले गया। उसके बाद क्या हुआ, उसे नहीं पता। अकील अहमद ने यह दावा नहीं किया कि लियाकत अली पर संजय या राकेश ने उसकी पिस्तौल/तामील रिवॉल्वर छीनने के प्रयास में गोली चलाई थी। उसने यह भी नहीं बताया कि उक्त हाथापाई में लियाकत

अली को कोई चोट आई है या नहीं। गौज मोहम्मद ने 313 के बयान में अभिवाक् किया कि उसे पीटा गया और 2 लाख रुपये फिरौती के लिए कहा गया और उसे जान से मारने के इरादे से रेलवे फाटक पर ले जाया गया। वहां उसे फिर से पीटा गया और उसकी बाईं कलाई की हड्डी टूट गई। अकील और लियाकत उसे बचाने के लिए वहां आए। अकील को पैसे लाने के लिए उसके घर भेजा गया। उसने यह दावा नहीं किया कि लियाकत अली के साथ कोई हाथापाई हुई या उस पर गोली चलाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी अभियुक्तों ने इस बात पर विरोधात्मक और परस्पर विरोधी बयान दिया है कि घटना किस प्रकार घटित हुई जिसमें संजय और गौज मोहम्मद को चोटें आईं। अकील और गौज मोहम्मद ने यह दावा नहीं किया कि हमलावरों ने कोई हमला किया था या सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने से संजय घायल हो गया था।

5. यह सत्य है कि घटना के लिए जिम्मेदार घटनाओं के क्रम के बारे में परिवादी और अन्वेषक अधिकारी अभि.सा.-12 (सहायक उप निरीक्षक नरपत सिंह) के बयान में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं। जाहिर है, परिवादी ने घटना के बारे में सही तथ्य पेश नहीं किए हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। अन्वेषण के दौरान दीपक की परीक्षा नहीं की गई। किया गया अन्वेषण अत्यधिक दोषपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है; झगड़े की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं किए गए। यद्यपि, अन्वेषण करने में

अन्वेषक अधिकारी की ओर से की गई चूक से अपराध स्वतः ही समाप्त नहीं हो जाता, जबकि यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी मौके पर गया था और अभि.सा.-11 (संजय) पर गोली चलाने में अपनी तामील रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया था। अभियोजन पक्ष के मामले में प्रत्येक कमी जरूरी नहीं कि विचारण को दोषपूर्ण बनाए।

6. तर्कों के दौरान, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने आत्मरक्षा में काम किया और अपने साथियों के हमले से बचने के लिए संजय पर गोली चलाई। अपीलार्थी ने विचारण के दौरान इतने शब्दों में अभिवचन नहीं दिया कि उसने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हुए वैध रूप से काम किया। यद्यपि, यह सुस्थापित है कि भले ही कोई अभियुक्त आत्मरक्षा का अभिवचन न भी दे, परंतु यदि अभिलिखित सामग्री से ऐसा लगता है तो न्यायालय ऐसे अभिवाक् पर विचार कर सकता है। किसी मामले को किसी अपवाद के अंतर्गत लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर है। बेशक उस भार को उस अभिवाक् के पक्ष में संभावनाएँ दिखाकर कम किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत, अभियुक्त पर आत्मरक्षा के अपने अभिवाक् को साबित करने का भार है। न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति को मान लेगा। यह अभियुक्त का काम है कि वह आवश्यक सामग्री को या तो सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करके या अभियोजन पक्ष के लिए परीक्षित साक्षियों

से आवश्यक तथ्य प्राप्त करके अभिलिखित करे। प्रतिरक्षा का अधिकार मुख्य रूप से एक रक्षात्मक अधिकार है और यह केवल उसी व्यक्ति को उपलब्ध है जिसे अचानक किसी आसन्न खतरे को टालने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने आत्मरक्षा का कोई अभिवाक् नहीं दिया और इसके बजाय परिवादी के सामने प्रतिपरिक्षा में यह सुझाव दिया कि उसने उस पर गोली नहीं चलाई। यह अनुमान लगाने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है कि परिवादी या राकेश ने लियाकत अली पर देसी पिस्तौल से गोली चलाई थी। घटना के तुरंत बाद संजय को घायल अवस्था में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया और अन्वेषक अधिकारी को उसके कब्जे से कोई देसी पिस्तौल बरामद नहीं हुई। जब अभि.सा.-9 (कांस्टेबल सतेंद्र सिंह) ने उसे और गौज मोहम्मद को देखा, तो उनका किसी हमलावर द्वारा पीछा नहीं किया जा रहा था। जाहिर है, अपीलार्थी को आत्मरक्षा के अभिवाक् का लाभ उठाने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए कोई आसन्न खतरा नहीं था।

7. सह-अभियुक्त अकील और गौज मोहम्मद को दोषमुक्त करने से अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में सक्षम था कि उसने अकेले ही संजय पर अपनी तामील रिवॉल्वर से गोली चलाई थी और उसे गंभीर चोट पहुंचाई थी। घटना के बाद अपीलार्थी मौके से फरार हो गया। उसने मौके पर अपनी भौतिक उपस्थिति स्वीकार की है। विधि का कोई नियम नहीं है कि यदि न्यायालय किसी साक्षी

के साक्ष्य के आधार पर कुछ अभियुक्तों को दोषमुक्त करता है, तो यह पाते हुए कि उनके संबंध में निश्चित कारणों से कुछ संदेह है, अन्य अभियुक्तों को भी दोषमुक्त किया जाना चाहिए जिनके विरुद्ध सकारात्मक साक्ष्य हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह समूह में से बुरी चीज़ों या लोगों को अलग करे और अच्छी चीज़ों को चुने। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष साक्ष्य के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित हैं और किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी के सभी प्रासंगिक प्रतिविरोधों पर आक्षेपित निर्णय में विचार किया गया है। भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि पर निष्कर्ष पुष्ट हैं।

8. दंडादेश अधिनिर्णीत करते समय, विचारण न्यायालय ने परिस्थितियों पर विचार किया और अपीलार्थी के अनुकरणीय कार्य तथा उसे समय से पहले पदोन्नति मिलने को भी ध्यान में रखा। अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत 3,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया। जाहिर है, विचारण न्यायालय ने उदार रुख अपनाया है। अपीलार्थी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल था और उसे आत्मरक्षा के लिए एक तामील रिवॉल्वर और बारह जिंदा कारतूस दिए गए थे। आधिकारिक हथियार को जिस उद्देश्य के लिए जारी किया गया था, उसका उपयोग करने के बजाय, वह अपराधियों के साथ जुड़ गया और उस स्थान पर गया जहाँ दो समूहों के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था।

अपीलार्थी का आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के साथ सीधा संबंध था और उसने एक दूसरे के विरुद्ध उनकी लड़ाई में उनकी सहायता की। अपीलार्थी के पास स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना अपने स्कूटर पर मौके पर जाने और दो समूहों के बीच झगड़े में हस्तक्षेप करने और अभि.सा.-11 (संजय) नामक व्यक्ति पर गोली चलाने का कोई कारण नहीं था। उसने बिना किसी उचित आशंका के परिवादी के महत्वपूर्ण अंग पर गोली चलाई और उसकी देखभाल किए बिना मौके से फरार हो गया। घायल व्यक्ति को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया जहां वह कई दिनों तक भर्ती रहा। अपराधियों के साथ सांठ-गांठ होने/संबंध होने के कारण अपीलार्थी किसी प्रकार की उदारता के योग्य नहीं है।

9. अपील निराधार है और खारिज की जाती है। अपीलार्थी को शेष दंडादेश भोगने के लिए दिनांक 6 फरवरी, 2014 को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए। आदेश की एक प्रति सूचना के लिए जेल अधीक्षक, तिहाड़ जेल को भी भेजी जाए।

**(एस.पी.गर्ग)**

**न्यायाधीश**

**30 जनवरी, 2013**

एसए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*